20/3/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादिनी के नाम से संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 374 पुराना 281 वाके ग्राम रानपुर पटवार हल्का रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। वादिनी के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या नया 374 पुराना 281 की खसरा नं0 1359 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम रानपुर पटवार हल्का रानपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। जिसमें वादिनी का 1/36 हिस्सा निहित चला आ रहा है। वादिनी का उक्त आराजी में गलत नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर अनेक बार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिये परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती नहीं किये गये। उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम गलती से मनभर बाई पुत्री कालू अंकित हो रहा है जबकि वादिनी का वास्तविक नाम मन्नू बाई है। वादिनी के पेनकार्ड, आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, बैक पास बूक उक्त समस्त दस्तावेजों में वादिनी का नाम मन्नू बाई अंकित है जो कि रिकार्ड के अनुसार है। इस कारण से वादिनी का नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मनभर बाई के स्थान पर मन्नू बाई अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी का नाम मनभर बाई पुत्री कालू के स्थान पर मन्नू बाई पुत्री कालू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करें एवं अन्य सहायता जो भी वादिनी को मिल सके वह भी दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि ग्राम रानपुर की जमाबंदी सम्वत 2071–74 (2077) खाता संख्या 374 ख0नं0 1359 रकाब 0.48 है0 एवं खाता संख्या 377 ख0नं0 1399 रकबा 0.80 है0 एवं ख0नं0 1400 रकबा 0.62 है0 किता 2 रकबा 1.42 है0 भूमि में सहखातेदार मनभर बाई पुत्री कालू जाति गुर्जर का नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदार का नाम जर्ये विरासत नामा0 संख्या 1941 दिनांक 27.04.2023 से जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। संलग्न नामा0 सं0 1941 की प्रतिलिपि एवं संलग्न आवेदन, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी प्रतिलिपि में भी नाम मनभर ही दर्ज था। संलग्न आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड में वादिनी का नाम मन्नू बाई दर्ज है। ग्राम वासीयान द्वारा बताया गया की वादिनी को मन्नू बाई और मनभर बाई दोनो नामों से ही जाना जाता है। मनभर बाई व मन्नू बाई एक ही महिला है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मनभर बाई एवं मन्नू बाई एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रानपुर तह0 लाडपुरा में स्थित आराजी खसरा नं0 1359, 1399, 1400 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मनभर बाई पुत्री कालू के स्थान पर मनभर बाई उर्फ मन्नू बाई पुत्री कालू दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिनाक: 24/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	